

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

/वाद संख्या आर-0056/एस-3/2023

पत्राक

3543
24/1/2023
दिनांक 24-1-20

श्रीमति पंचमी रावत पत्नी स्व० मनवर सिंह रावत
ई०डब्लू०एस० 146 केदारपुरम एम०डी०डी०ए०
कालोनी देहरादून ।

विपक्षी श्री पंचम रावत पत्नी स्व० मनवर सिंह रावत, ई०डब्लू० एस० 146 केदारपुरम एम०डी०डी०ए० कालोनी देहरादून के प्राधिकरण विकास क्षेत्र में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति अनुमोदन एवं मंजूरी लिए बिना अनाधिकृत रूप से तृतीया तल पर अवैध आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है ।

अनाधिकृत निर्माण के प्रत्यावेदन के आधार पर विपक्षी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत दिनांक 13-1-2023 को कारण बताओ नोटिस एवं अधिनियम की धारा 28 (1) के अधीन विकास निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी करते हुए वाद संख्या आर-0056/एस-3/2023 योजित किया गया । विपक्षी से अपेक्षा की गई कि दिनांक 17-1-2022 को प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

नियत तिथि दिनांक 17-1-2023 को विपक्षी स्वयं उपस्थित हुए और विपक्षी द्वारा अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया । जिस पर अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से आख्या चाही गयी । अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 19-1-2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी श्री पंचमी रावत के द्वारा ई०डब्लू०एस० -146 केदारपुरम एम०डी०डी०ए० कालोनी देहरादून में तृतीया तल पर निर्माण कार्य किया जा रहा है । विपक्षी को कार्य रोकने हेतु कई बार स्थल पर जाकर कार्य रूकवाया गया परन्तु विपक्षी द्वारा चोरी छिपे निर्माण कार्य जारी रखे हुए है । उक्त अवैध निर्माण शमनीय नहीं है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आप द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है । पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं को उल्लंघन किया गया है । चालान शुदा निर्माण को सील किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है ।

अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है ।

कमश-—2—पर

आदेश

श्री श्रीमती पंचमी रावत पत्नी र० मनवर सिंह रावत, ई०डब्लू०एस०, ई-146 के उपर तृतीया तल आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है । अनाधिकृत निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रकरण में धारा 28क के अन्तर्गत सील आदेश पारित किये जाते हैं । प्राधिकरण द्वारा उक्त चालान शुदा अवैध निर्माण को दिनांक ~~30-1-2023~~ को सील किया जाना है ।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त सम्पूर्ण परिसर को खाली कर दें, तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हों, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगाई गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के सम्मान है जो कि कानून दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाये।

संयुक्त सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून ।